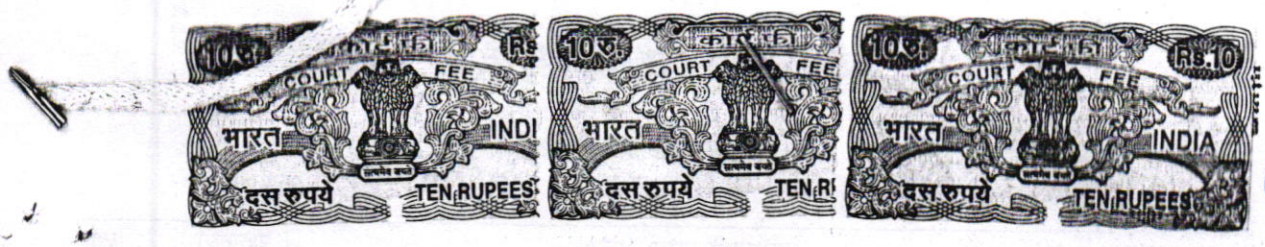

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/इंदौर/भू०रा०/2018/1379

1– परमानंद पिता कन्हैयालाल तिवारी
2– सुरेश पिता परमानंद तिवारी
3– राजेश पिता परमानंद तिवारी
सभी निवासी– ग्राम सेमल्या रायमल तहसील व जिला इंदौर —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

देवराम पिता अर्जुनसिंह
निवासी– ग्राम सेमल्या रायमल तहसील व जिला इंदौर —— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान तहसीलदार कम्पेल–खुडैल तहसील व जिला इंदौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 9/अ–13/16–17 में दिनांक 26–02–2018 को पारित अंतरिम आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/18/1979

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-18	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अरूण मानकर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार कम्पेल - खुडैल जिला इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-13/16-17 में पारित आदेश दिनांक 26-2-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत है और जिसमें आवेदक द्वारा आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य एवं स्थल निरीक्षण के उपरांत ही किया जा सकता है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्यमें तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 43 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण अंतिम निराकरण के साथ करने का निर्णय लिया गया है जिसमें तहसीलदार द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	